

उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (कल्याण शाखा)

—:: अल्पकालिन निविदा ::—

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिलान्तर्गत कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों में
खाद्य-अखाद्य सामग्री आपूर्ति संबंधी

ज्ञापांक : 626 /क0

दिनांक : 10.04.2012

वित्तीय वर्ष 2012-13 में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में खाद्य सामग्री, पठन-पाठन, वस्त्र एवं पोशाक सामग्रियों की आपूर्ति करने हेतु ईच्छुक आपूर्तिकर्ता स्थानीय स्वयंसेवी संस्था से मुहरबंद निविदा दिनांक-28.04.2012 को 12.00 बजे पूर्वाह्न तक आमंत्रित की जाती है। इसे जिला कल्याण शाखा में प्राप्त किया जाएगा। इसे उसी दिन 3.30 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत भाग लेंगे।

(क) भोजन एवं जलपान मद

क्र.	वस्तु का नाम	क्र.	वस्तु का नाम
1.	उसना चावल उत्तम प्रति कि0ग्रा0	23.	सूची प्रति कि0ग्रा0
2.	उसना चावल मध्यम प्रति कि0ग्रा0	24.	मूंगफली दाना प्रति कि0ग्रा0
3.	अरवा चावल (खीर हेतु) प्रति कि0ग्रा0	25.	टाटा नमक प्रति कि0ग्रा0
4.	मसूर दाल प्रति कि0ग्रा0	26.	पापड़ (200 ग्राम श्रीराम पैकेट)
5.	मूंगदाल प्रति कि0ग्रा0	27.	काजू प्रति कि0ग्रा0
6.	अरहर दाल प्रति कि0ग्रा0	28.	गरी प्रति कि0ग्रा0
7.	चनादाल प्रति कि0ग्रा0	29.	किषमिष प्रति कि0ग्रा0
8.	चना प्रति कि0ग्रा0	30.	चना बेसन प्रति कि0ग्रा0
9.	चूड़ा प्रति कि0ग्रा0	31.	मैदा प्रति कि0ग्रा0
10.	चीनी प्रति कि0ग्रा0	32.	आटा प्रति कि0ग्रा0
11.	गुड़ प्रति कि0ग्रा0	33.	खरसी मांस प्रति कि0ग्रा0
12.	रिफाईन तेल (फार्चुन) प्रति लीटर	34.	मुर्गा मांस देषी प्रति कि0ग्रा0
13.	सरसो तेल ब्राण्डेड सहित प्रति लीटर	35.	मुर्गा मांस (बायलर) प्रति कि0ग्रा0
14.	सुधा दूध प्रति लीटर	36.	आलू प्रति कि0ग्रा0
15.	जलावन लकड़ी प्रति कि0ग्रा0	37.	प्याज प्रति कि0ग्रा0
16.	सोया बड़ली (न्यूड्रिला) प्रति पैकेट	38.	अदरक प्रति कि0ग्रा0
17.	हल्दी गोटा प्रति कि0ग्रा0	39.	लहसुन प्रति कि0ग्रा0
18.	धनिया गोटा प्रति कि0ग्रा0	40.	अंडा प्रति नग
19.	लाल मिर्च गोटा प्रति कि0ग्रा0	41.	जीरा पाउडर प्रति कि0ग्रा0
20.	गोल मिर्च गोटा प्रति कि0ग्रा0	42.	धनिया पाउडर प्रति कि0ग्रा0
21.	जीरा मोटा प्रति कि0ग्रा0	43.	हल्दी पाउडर प्रति कि0ग्रा0
22.	गरम मसाला प्रति कि0ग्रा0	44.	मिर्चा पाउडर प्रति कि0ग्रा0

(ख) हरी सब्जी मद

क्र. वस्तु का नाम

1.	फूलगोभी प्रति कि0ग्रा0	12.	कोहड़ा प्रति कि0ग्रा0
2.	बन्धागोभी प्रति कि0ग्रा0	13.	कद्दू प्रति कि0ग्रा0
3.	परवल प्रति कि0ग्रा0	14.	खेखसा प्रति कि0ग्रा0

4.	बरबट्टी प्रति कि०ग्रा०	15.	सीम प्रति कि०ग्रा०
5.	बैगन प्रति कि०ग्रा०	16.	फ्रेंचबीन प्रति कि०ग्रा०
6.	भिन्डी प्रति कि०ग्रा०	17.	टमाटर प्रति कि०ग्रा०
7.	करेला प्रति कि०ग्रा०	18.	मूली प्रति कि०ग्रा०
8.	कच्चा पपीता प्रति कि०ग्रा०	19.	पालक साग प्रति कि०ग्रा०
9.	हरा मिर्च प्रति कि०ग्रा०	20.	गेन्हरी/लाल साग प्रति कि०ग्रा०
10.	कुदरी प्रति कि०ग्रा०	21.	सेव प्रति कि०ग्रा०
11.	झिंगली प्रति कि०ग्रा०	22.	केला पका हुआ (सिंगापुरी) प्रति दर्जन

(ग) तेल साबुन मद

क्र.	वस्तु का नाम	क्र.	वस्तु का नाम
1.	लाईफबॉय 120 ग्रा० प्रति	7.	नारियल झाडु प्रति नग
2.	सर्फ (व्हील और निरमा) 190 ग्रा० प्रति	8.	फुल झाडु प्रति नग
3.	बाटी साबुन (चाकुलिया) 200 ग्रा० प्रति	9.	टुथपेस्ट (पेप्सोडेंट/कोलगेट) 100 ग्रा० प्रति
4.	रिन सुप्रीम साबुन 240 ग्रा० प्रति	10.	टुथब्रश (पेप्सोडेंट/कोलगेट) 100 ग्रा० प्रति
5.	हारपीक (एम०एल० सहित) पावर 500 मि० प्रति	11.	जिभी स्टील प्रति नग
6.	फीनाईल (ग्रोस 500 एम०एल०) प्रति	12.	एसीड 500 ग्रा०

(घ) वस्त्र एवं पोशाक

क्र.	वस्तु का नाम
1.	नेभी ब्लू सुटिंग कपड़ा प्रति मी० Width 138 cm blend-67% Polyester 33% viscose (ग्वालियर/मफतलाल/रेमण्ड/सियाराम/एस कुमार/विमल)
2.	हवाईट सर्ट के लिए प्रति मी० Width 89 cm blend-67% Polyester 33% viscose (ग्वालियर/मफतलाल/रेमण्ड/सियाराम/एस कुमार/विमल)
3.	सिलाई का दर (एक फुलषर्ट + एक फूलपेंट)
4.	कपड़े का जूता सफेद (केनवास) प्रति जोड़ा
5.	मोजा प्रति जोड़ा
6.	बेडशीट साईज सहित प्रति नग
7.	चादर ओढ़ने की साईज सहित प्रति नग
8.	कम्बल ब्राण्डेड एवं साईज सहित प्रति नग
9.	दरी सिंगल साईज सहित प्रति नग
10.	दरी बड़ी साईज सहित प्रति नग
11.	तकिया कभर सहित प्रति नग
12.	मच्छरदानी साईज सहित प्रति नग
13.	गमछा/तौलिया प्रति नग
14.	स्वेटर फुल बांह का प्रति नग साईज 28" से 36"

(ङ) पठन-पाठन एवं लेखन सामग्रियाँ

क्र.	वस्तु का नाम
1.	पाठ्य-पुस्तक (एन.सी.ई.आर.टी.) अधिकतम छूट
2.	अन्य पुस्तक (अधिकतम छूट)
3.	डोट पेन प्रति नग
4.	बाईन्ड कॉपी 192 पेज प्रति नग
5.	लॉग कॉपी (रजिस्टर टाईप) साईज सहित प्रति नग

6. ज्यामिति बॉक्स प्रति नग अच्छी क्वालिटी का (ब्राण्डेड)
7. काष्ठ पेंसिल (नटराज/कैमल) प्रति नग
8. स्केल 12'' प्लास्टिक/काष्ठ ब्राण्डेड प्रति नग
9. पेंसिल सर्फनर ब्राण्डेड प्रति नग
10. रबड़ (नटराज/कैमल ब्राण्डेड) प्रति नग
11. ड्राईंग कॉपी कैमल प्रति नग
12. सादा कागज प्रति रीम
13. रूलदार कागज प्रति रीम
14. ए-4 साईज जैरॉक्स पेपर (कोरेक्स/सेंचुरी/पाउर) प्रति पैकेट
15. कार्बन कैमल/कोरेक्स प्रति पैकेट
16. पेपर पीन प्रति पैकेट
17. पेपर वेट प्रति नग
18. टैग प्रति बण्डल
19. चोक (खल्ली) प्रति पैकेट
20. फ्लेट फाईल प्रति नग
21. फॉसी रजिस्टर (प्रति नम्बर)
22. गोंद 300 मि0ली0/700 मि0ली0
23. डस्टर प्रति नग
24. गार्ड फाईल प्रति नग
25. गार्ड फाईल प्रति नग
26. प्लाईलीफ कपड़ा सहित प्रति नग
27. ग्लोब (साईज सहित)
28. ज्यामिति बॉक्स बड़ा (शिक्षक हेतु)
29. कलर पेंसिल/पेन प्रति पैकेट

निविदा की शर्तें :-

1. प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक सामग्री का विक्रेता होने का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र देना होगा।
2. निविदा मात्र निबंधित डाक अथवा द्रुत सेवा से ही स्वीकृत की जाएगी। अन्य किसी दूसरे माध्यम से भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. निविदा के साथ निविदादाताओं को आयकर, प्रत्येक सामग्री का बिक्री कर, दुकान का निबंधन संख्या एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र की अद्यतन (मार्च 2012 तक) अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं पैन नं0 इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत हेल्थ लाईसेंस, कृषि उत्पादन बाजार समिति की अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
4. निविदा के साथ क्रमांक क, ख, ग, घ, ङ, एच एवं च के लिए अग्रधन के रूप में खाद्य एवं अखाद्य सामग्री आपूर्ति हेतु 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से निविदा के साथ प्लेज्ड करना अनिवार्य होगा। बिना बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. निविदा के सामग्रियों का दर सूची अनुसार सभी कर सहित अंकित करेंगे। किसी प्रकार का कटिंग या ओभर राईटिंग होने पर इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. दर निर्धारण के समय खाद्यान्न सामग्री के नमूना 03 पैकेट में लाना अनिवार्य होगा तथा अन्य सामग्री का नमूना एक-एक प्रति अच्छे गुणवत्ता एवं सर्वनिम्न दर पर निविदा का निर्धारण किया जाएगा।
7. सामग्रियों की आपूर्ति इस जिला अन्तर्गत अवस्थित आवासीय/छात्रावासों में पहुंचा कर देना होगा। जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय या पैकिंग चार्ज देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत निविदादाता को आवंटन की प्रत्याशा में आपूर्ति बाधित नहीं करनी होगी, आपूर्ति बाधित करने पर उसे काली सूची में नाम दर्ज की जा सकती है एवं अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है। भुगतान के विलम्ब होने पर आपूर्तिकर्ता किसी तरह का हर्जाना या भरपाई का दावा नहीं करेंगे।
9. निविदादाताओं को सरकार के पक्ष में जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से एकरारनामाता करना होगा कि वे आदेशानुसार सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत दर एवं नमूने के अनुरूप करेंगे। ऐसा नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर सामग्रियों को बदलना होगा।
10. आपूर्ति आदेश वित्तीय वर्ष 2012-13 तक के लिए मान्य होगा।

11. शर्त युक्त निविदा स्वीकार नहीं किये जाएंगे । समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।
12. शर्त निविदा को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा ।
13. निविदा में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर जिला क्रय समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकता है ।
14. स्वीकृत निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति विद्यालय तक पहुंचाकर करनी होगी, जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा ।
15. निविदादाता को निविदा दो शील्ड लिफाफे में देना होगा । तकनीकी बीड में निविदा से संबंधित सभी कागजात तथा दूसरे लिफाफे में सामग्रियों का केवल दर अंकित रहेगा । तकनीकी बीड में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड क्रय समिति के बैठक में खोला जाएगा ।

ह0/-
उप-विकास आयुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर